

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 15, 1973/आश्विन 23, 1895

No. 237] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 1973/ASVINA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th October 1973

SUBJECT.—Import of "Dates" (S. No. 21(b)/IV) from Iraq during September, 1972—March 1973 licensing period on annual basis—Extension in the validity period.

No. 166-ITC(PN)/73.—Attention of importers is invited to paragraph 2 of the Ministry of Commerce Public Notice No. 59—ITC(PN)/73, dated 23rd April, 1973, according to which the validity period of unutilized/partially utilized licences issued for import of "Dates" from Iraq for the period September, 1972—March, 1973 was extended upto 30th September, 1973.

2. On a review of the position it has been decided that the validity period of unutilized/partially utilized licences for import of "Dates" from Iraq issued during September, 1972—March, 1973 period, may be deemed to have been extended upto 14th November, 1973. No endorsement to this effect is necessary to be made on the licences by the licensing authority concerned. The Customs authorities will allow clearance within the extended date on the basis of this Public Notice, if the imports are otherwise in order.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली 15 अक्तूबर, 1973

विषय .—वार्षिक आधार पर सितम्बर, 1972—मार्च, 1973 लाइसेंस अवधि के दौरान ईराक से “खजूरों” [क्रम सं० 21 (बी)/4] का आयात-वैधता अवधि में वृद्धि।

संख्या 166—आई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—आयातको का ध्यान वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 59—आई० टी० सी० (पी० एन०)/73, दिनांक 23 अप्रैल, 1973 की कॉडिका 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार सितम्बर, 1972—मार्च, 1973 अवधि के लिए ईराक से “खजूरों” के आयात के लिए जारी किए गए बिना उपयोग किए गए। आंशिक उपयोग किए गए लाइसेंसों की वैधता अवधि को 30 सितम्बर, 1973 तक बढ़ाया गया था।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चित किया गया है कि सितम्बर, 1972—मार्च, 1973 अवधि के दौरान ईराक से “खजूरों” के आयात के लिए जारी किए गए बिना उपयोग किए गए/आंशिक उपयोग किए गए लाइसेंसों की वैधता अवधि 14 नवम्बर, 1973 तक बढ़ाई गई समझी जाए। इस सम्बन्ध में सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से लाइसेंसों पर पृष्ठांकन कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आयात अन्य बातों से उचित है, तो सीमा-शुल्क प्राधिकारी प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के आधार पर बढ़ाई गई अवधि के भीतर माल की निकासी की अनुमति देगे।

एत० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।